2017/00384

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री योगेन्द्र तंवर पुत्र देवीलाल तंवर जाति माली निवासी पीरू जी की चक्की, पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर : ब ना म : सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर किस्म मुकदमा प्रथम सूचना अपील संख्या 223/17	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

: निर्णय :

13.12.17

1. पत्रावली पेश हुई। ना तो अपीलार्थी उपस्थित है एवं ना ही प्रत्यर्थी की तरफ से कोई उपस्थित है।

2. अपीलार्थी ने अपील में अंकित किया है कि उसके द्वारा प्रत्यर्थी से आवेदन–पत्र दिनांक 12.5.17 में वर्णित सूचना चाही गई थी। परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने पर अपील प्रस्तुत की गई है, जो स्वीकार फरमाई जा कर वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जावे।

3. सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर द्वारा गत पेशी पर जवाब प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा अपील के संलग्न 12.5.17 के आवेदन–पत्र की छांया प्रति संलग्न की गई है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदन–पत्र में 10/– रूपये के पोस्टल ऑडर नम्बर अंकित नहीं है। आवेदक द्वारा दिउनांक 17.5.17 को आवेदन प्रस्तुत किया गया, जो कि संबंधित पंजीका में इन्द्राज किया गया एवं आवेदन–पत्र में उल्लेखित सूचना के 106 पृष्ठ के 212 रूपये जमा करवाने हेतु कार्यालय के पत्र संख्या 463 दिनांक 06.06.17 से रजिस्टर्ड डाक द्वारा आवेदक को सूचित किया गया, लेकिन राशि जमा नहीं करवाई गई। अपीलार्थी का दिनांक 12.5.17 का कोई आवेदन–पत्र कार्यालय में प्राप्त नहीं होने का कथन स्वीकार्य नहीं है। अपील अपीलार्थी निरस्त फरमावें।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट को प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलान्ट की और से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है व ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकाला जाना उचित होगा कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

5. उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

6. निर्णय आज दिनांक 13.12.17 को लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो।

(अनिल गुप्ता)
प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर